न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 190/2014 **दायर दिनांक 10.10.2014**

1. दयाराम उर्फ रणवीर उम्र 14 वर्ष
2. रवीना उम्र 8 वर्ष
3. रितेश उम्र 5 वर्ष

पिसरान श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी श्योपतराम जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम बीरमाना तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——वादीगण

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गिरधारीलाल पुत्र श्री मामराज जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. उप पंजीयक सूरतगढ
4. उपंपजीयक राज़ियासर।
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए

उपस्थित :–

(1) श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई, अभिभाषक वादीगण
(2) श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2
(3) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ

निर्णय दिनांक 17.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता व प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का दादा हैं। प्रतिवादी सं. 2 के नाम सें चक 1 डीडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ के जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 की खाता सं. 16 प0न0 178/157 मु0न0 83 कि0न0 1 ता 10, 14, 15 की 3.036 है0 क0–अ0क0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा का हक है। जिसमें वादीगण प्रत्येंक का 1/3 हिस्सा हक है। जिसे वादीगण प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 2 शराबी कबाबी व्यक्ति है व समाज के असामाजिक तत्वों के साथ मिला हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से प्रतिवादी सं. 2 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय द्वारा अन्तरित करने हेतू तत्पर है। ऐसी स्थिति मे यदि प्रतिवादीगण कृषि भूमि को विक्रय करने मे कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का शास्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 2 के नाम सें दर्ज कृषि भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन बैय अन्तरित करने से निषिद्ध रहे व इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वादीगण का कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है व इसी अनुसार घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे सें वादीगण 1/4 हिस्सा मे सें 1/3 हिस्सा प्रत्येंक कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सें व्यक्तिगत रुप सें मिलकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय ना करने हेतू निवेदन किया तो वे ऐसा करने से इन्कार हो गये तो

कमश 2 पर

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

हकों की घोषणा बाबत वाद दायर किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 स्वंय उपस्थित हुआ है व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 2 की और जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 1 डीडब्ल्यूएम का स्थाई निवासी है। प्रतिवादी सं. 2 के नाम सें चक 1 डीडब्ल्यूएम प0न0 178/157 में 3.036 है0 अ0क0 भूमि है जो स्वंय अर्जित है। प्रतिवादी सं. 2 की पहली पत्नी विद्या देवी की मृत्यू काफी अरसा पहले हो चुकी थी। उसके नुत्फे से दो लड़के राजकुमार श्योपतराम व एक लडकी निर्मला कुल 3 बच्चे पैदा हुये थे। पहली औरत के मरने के बाद प्रतिवादी सं. 2 ने श्रीमती पूरा देवी पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी रंगमहल से पुन विवाह कर लिया जो साथ मे निवास करती है। पहली पत्नी विद्या देवी के नाम से 12-00 बीघा भूमि चक 1 डीडब्ल्यूएम में खरीद कर दी हुई है। जो मेरी भूमि के नजदीक पड़ती है। उसकी मृत्यू उपरान्त उसके दो पुत्र श्योपतराम, राजकुमार व एम पुत्री निर्मला देवी कुल 3 वारिसान है। जिनमे सें निर्मला देवी ने अपने हिस्सा की भूमि अपने भाईयों के पक्ष मे हक त्याग की हुई है। साथ ही निवेदन किया कि उक्त 12-00 बीघा भूमि पहली पत्नी को प्रतिवादी सं. 2 ने अपने रुपयों से खरीद कर दी है। मृतका की पुत्री निर्मला देवी व पुत्र श्योपतराम के मन मे बेईमानी आ गई है वो मेरे जीते जी मेरी स्वंय अर्जित भूमि में हिस्सा तलब कर रहे है व भूमि हडपना चाहते है। चुकि मेरी भूमि स्व-अर्जित है कानूनी तौर पर मेरी भूमि में हक व हिस्सा नही है। वादीगण का पिता शराबी नशेड़ी व बदमाश किस्म का आदमी है। उक्त श्योपतराम जब मै प्रार्थी अपने खेत में काश्त करता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है व मुझे बेवजह परेशान करता है तथा साथ ही चित्रप्रति बैयनामा भूमि खरीद का दिनांक 25.01.1994 प्रस्तुत किया। तनकीयात कायम की गई।

<u>**तनकी नं. 1**</u> आया वादीगण चक 1 डीडब्ल्यूएम खाता सं. 16/16 प0न0 178/157मु0न0 83 कि0न0 1 ता 10, 14, 15 कुल 3.036 है0 प्रतिवादी स. 2 की भूमि मे से वादीगण का व प्रतिवादी सं. 1 अपने हक व हिस्सा मुताबिक भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

(वादी)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था जिसको वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादी सं. 2 के नाम सें अंकित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का हक हो। प्रतिवादी सं. 2 ने रिकार्ड व राजस्व जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं. 2 के नाम से भूमि दर्ज है वह उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.01.1994 को दयाल सिह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति बावरी से खरीद की है। उक्त तनकी खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी नं. 2**</u> आया प्रतिवादी सं. 2 तनकी सं. 1 में अंकित भूमि को रहन बैय अन्तरित ना करने की चिरस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जावे।

(वादी)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतिवादी सं. 2 को रहन बैय अन्तरित ना करने से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने बैयनामा की प्रति प्रस्तुत की जिससे साबित है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अपनी कमाई से खरीद की हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज है। रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त तनकी के खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश : 3 पर

तनकी न. 3 आया प्रतिवादी सं. 2 की स्वंय अर्जित तनकी सं. 1 में अंकित भूमि मे से वादी व प्रतिवादी सं. 1 भूमि पाने के कानूनी हकदार नहीं है।

(प्रतिवादी सं. 2)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने साक्ष्य में साबित किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 की स्वंय अर्जित है जिसमे पुत्र व पौत्र प्रतिवादी सं. 2 के जीवनकाल में हक व हिस्सा नहीं मांग सकते है। विरास्तन आई सम्पति मे ही पुत्र व पौत्र हकदार है। चुंकि भूमि स्वंय अर्जित है। इसलिये उक्त भूमि मे वादीगण व प्रतवादी सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। दस्तावेजो सें साबित किया उक्त तनकी बहक प्रतिवादी सं. 2 खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन मनन किया गया। वादीगण का उक्त वाद आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण दावा खारिज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

आ0 21 रुल 6, 7 जाब्ता दीवानी

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाद्यीश एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

अनवान :

1. दयाराम उर्फ रणवीर उम्र 14 वर्ष
2. रवीना उम्र 8 वर्ष
3. रितेश उम्र 5 वर्ष

} पिसरान श्योपतराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रोशनी पत्नी श्योपतराम जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम बीरमाना तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——वादीगण

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गिरधारीलाल पुत्र श्री मामराज जाति बावरी निवासी चक 1 डीडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. उप पंजीयक सूरतगढ
4. उपंपजीयक राजियासर।
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए मुकदमा नम्बर 190 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर वकील वादीगण श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई एंव वकील प्रतिवादीगण श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी व पैरोकार राज के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण अस्वीकार कर डिकी कर जैरवाद आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

नोज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... फसदों की पालना ..... आज की तारीख से तारीख वसूल वो तक की अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.08.2020 को जारी की गई।

सहायक जिलाद्यीश
एवम् उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested